प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–2237/मनरेगा–सेल/पत्रा0सं0–49 /2022–23 दिनांक 20जून, 2023

विषयः– वृक्षारोपण हेतु मेंटेनेन्स के प्राविधान करने के सबंध में।

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5 के पत्र संख्या–6/2023/242/81–5–2023 दिनांक 02.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 में किये जाने वाले वृक्षारोपण का कुल लक्ष्य 35.00 करोड़ पौधो का रोपण किये जाने हेतु विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है, जिसमें से ग्राम्य विकास विभाग को 12.59 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है लक्ष्य के प्राप्ति हेतु प्रत्येक वर्ष की भांति वन महोत्सव माह जुलाई के प्रथम सप्ताह दिनांक 01 जुलाई से लेकर 07 जुलाई तक मनाया जाये एवं इसकी कार्ययोजना तैयार की जाये जिससे वृक्षारोपण का लक्ष्य वृक्षारोपण हेतु निर्धारित तिथि तक शत–प्रतिशत प्राप्त हो सके। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मनरेगा पोर्टल (nrega.nic.in के 6.18 Drought proofing) में प्रदर्शित रिपोर्ट के अनुसार वृक्षारापेण में कुल 140521 वर्क आई0डी का सृजन किया गया है। जिसका आंकलन करने का कष्ट करें, यदि सृजित आई0डी0 के प्राक्कलन में मेटेंनेन्स का प्राविधान किया गया है तो तद्नुसार कार्यवाही करें तथा यदि प्राक्कलन में मेटेंनेन्स का प्राविधान नही किया गया है तो पृथक से मेटेंनेन्स की आई0डी0 अगले 02 वर्षो हेतु सृजित करते हुए कार्यवाहीं करने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि शासन के पत्र में निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है–

1. बिन्दु संख्या–6.1 (च) के अनुसार जनपद के महत्वपूर्ण शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु सघन वन/मियांवाकी पद्धति से मूल वन स्थापित किये जाए।
2. बिन्दु संख्या–10 रोपित किये गये पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने हेतु रोपण के पश्चात् आगामी 02 वर्षों अथवा पौधों के वृक्ष रूप में स्थापित होने तक सुरक्षा एवं रख–रखाव किया जाय। इस हेतु जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा अपनी प्रत्येक मासिक बैठक में विभागवार लक्ष्यों, रोपित पौधों की संख्या व रोपित पौधों की जीवितता का नियमित अनुश्रवण किया जाय। उक्त के अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत

सरकार के Annual Master Circular 2021–22 के प्रस्तर संख्या–7.6.5 में वृक्षारोपण के प्राक्कलन में 3 से 5 साल के मेटेंनेन्स का प्राविधान किया गया है जो कि निम्न है–

"Estimation of costs: The plantation works may cover the cost of labour and material component as per the estimate prepared including the maintenance period for 3-5 years (depending on the species). This may include planting materials, labour for digging pits and planting, fertilizers (preferably organic), equipment for watering, labour for watering, protection and maintenance of plants. All costs should form part of one estimate."

3. एम0आई0एस0 (nrega.nic.in) के रिपोर्ट सेक्शन **6.4 Maintance of Block and Bund Plantation** में वृक्षारोपण के मेटेनेन्सन की आई0डी0 सृजित करने का विकल्प दिया गया। (रिपोर्ट संलग्न) तथा 6.14 में **Maintance of Road side Tree Plantation** का भी विकल्प दिया गया। (रिपोर्ट संलग्न) उक्त दोनो विकल्प का चयन करते हुए वृक्षारोपण की आई0डी0 आवश्यक रूप से सृजित की जाए।
4. बिन्दु संख्या–12 जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति गठित हैं, जिसके संयोजक सम्बन्धित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक हैं तथा सभी कार्यदायी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी इसके सदस्य हैं। वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करने हेतु समिति का मुख्य दायित्व समन्वय, नियोजन एवं नियमित अनुश्रवण करना है। जिला वृक्षारोपण समिति जनपद में वृक्षारोपण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार करेगी तथा समय से रणनीति तैयार कर जिले के आवंटित वृक्षारोपण लक्ष्यों को शत–प्रतिशत प्राप्त करेगी। जिला वृक्षारोपण समिति समस्त विभागों के निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियमित रूप से समीक्षा बैठक कर वृक्षारोपण से सम्बन्धित तैयारियों एवं प्रगति का अनुश्रवण करेगी।
5. बिन्दु संख्या–13 में मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्तों द्वारा भी वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की जायेगी।
6. बिन्दु संख्या–14 में वृक्षारोपण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यो की सम्पादन के लिए समय सारणी निर्धारित की गयी है, जिसका पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें।
7. बिन्दु संख्या–16 में वृक्षारोपण हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के लिए समीक्षा किये जाने का उल्लेख किया गया है। सप्ताह में कम से कम एक बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में करने के निर्देश दिये गये है।

8. बिन्दु संख्या–18 में जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु विशेष बल दिये जाने हेतु मासिक बैठक सभी विभागो के साथ किया जाए तथा वृक्षारोपण के कार्यो का अनुश्रवण किया जाए।

9. इस कार्यालय के पत्र संख्या–807 दिनांक 02.03.2023 के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए प्लांटेशन ड्राईव के दौरान "वृक्षमाला नदी तट संरक्षण महाअभियान" चलाए जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसमें नदियों के किनारो में मृदा अपर्दन को रोकने के लिए नदियों के आस पास वृहद वृक्षारोपण का कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

10. गत वर्ष में किये गये वृक्षारोपण का माइक्रो प्लान जनपद स्तर पर संकलित करते हुए मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए तथा इस वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु माइक्रो प्लान आवश्यक रूप से बनाया जाए तथा इसे विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर संरक्षित करते हुए मुख्यालय को भी उपलब्ध कराया जाए।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक–2237/मनरेगा–सेल/पत्रा0सं0–49/2022–23, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन। Email-psrd.up@ gmail.com
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन एवं वन्य जीव विभाग, उ0प्र0। Email- ccfsf_up@yahoo.co.in
3. निदेशक, उद्यान विभाग, उ0प्र0। Email- horticulturejd98@gmail.com
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
7. समस्त उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।

(विजय कुमार चौधरी)
उपायुक्त, मनरेगा
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।